

**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान**  
**शैक्षिक अनुभाग**

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.  
दिनांक:

फा.सं.एफ10-विविध(बीएलएस एवं एसी)/2021-शैक्षिक-II

**जापन**

**विषय: बाहरी एजेंसियों/सोसाइटिज द्वारा संचालित एटीएलएस / एसीएलएस / बीएलएस पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को प्रतिपूर्ति।**

अधोहस्ताक्षरी को बाहरी एजेंसियों / सोसाइटिज द्वारा संचालित एटीएलएस / एसीएलएस / बीएलएस पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को प्रतिपूर्ति देने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन को निम्नानुसार संप्रेषित करने का निदेश हुआ है:-

अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली ने स्वयं के संसाधनों एवं संकाय सदस्यों के साथ अनिवार्य दक्षताओं एवं सहयोगी पाठ्यक्रमों का संचालन आरंभ किया है। इन दक्षताओं में छात्रों का प्रशिक्षण अनिवार्य है एवं इसके लिए विशिष्ट निकायों से प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार बाहरी स्रोतों से प्रमाणीकरण पाठ्यक्रमों को करने में यू.जी. एवं पी.जी. छात्रों द्वारा प्राप्त प्रतिपूर्ति शुल्क की आवश्यकता नहीं है।

अतः अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली एटीएलएस / एसीएलएस / बीएलएस पाठ्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए छात्रों को प्रतिपूर्ति प्रदान नहीं करेगा।

**प्राधिकारी:**


1. एजेंडा मद सं. ए.सी.-118/33 के द्वारा दिनांक 6 फरवरी, 2020 को आयोजित हुई स्थायी शैक्षिक समिति की बैठक।
2. एजेंडा मद सं. जी.बी.-158/7 के द्वारा दिनांक 18.06.2021 को आयोजित हुई शासी-निकाय की बैठक।

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

*सजीव लालवानी*  
कुल-सचिव

**वितरण:**

1. सभी केंद्रों के प्रमुखगण/विभागाध्यक्ष
2. निदेशक, अ.भा.आ.सं. के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव
3. उप-निदेशक (प्रशा.) के निजी सचिव/ वैयक्तिक सहायक
4. संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) के निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक
5. सह-संकायाध्यक्ष (शैक्षिक/परीक्षा/अनुसंधान)/रजिस्ट्रार के निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक
6. वरिष्ठ वित्त सलाहकार/वित्त सलाहकार/लेखा अधिकारी (रोकड़) के निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक
7. चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी आचार्य, संकाय प्रकोष्ठ, अ.भा.आ.सं.
8. मुख्य प्रशासन अधिकारी/प्रशासन अधिकारी (संकाय प्रकोष्ठ)
9. कंप्यूटर सुविधा: इसे शैक्षिक अनुभाग शीर्षक से एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।



*सुनीता अंकिता शर्मा*  
*सुनीता अंकिता शर्मा*  
14/09

**ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES**

**ACADEMIC SECTION**

No.F. 9-3/Misc (BLS&ACLS)/2021.-Acad.II

Ansari Nagar, New Delhi-29

Dated the:- 07 SEP 2021

**MEMORANDUM**

**Subject: Reimbursement to student for ATLS/ACLS/BLS courses conducted by the outside agencies/societies.**

The Undersigned is directed to convey the approval of competent authority for the proposal of the Reimbursement to student for ATLS/ACLS/BLS courses conducted by the outside agencies/societies as under:-

AIIMS, New Delhi has started conducting essential skills and life support courses with its own resources and faculty. While training of students in these skills is essential, certification from specific bodies is not a requirement. Thus, reimbursing fees incurred by UG and PG students in taking certification courses from external sources is not required.

Henceforth, AIIMS, New Delhi will not reimburse students for taking ATLS/ACLS/BLS courses.

**Authority:**

- Meeting of Standing Academic Committee held on 6<sup>th</sup> Feb, 2020 vide Agenda Item No.AC-118/33.
- Meeting of Governing Body held on 18.06.2021 vide Agenda Item No.GB-158/7.

This is for information and necessary action.

  
REGISTRAR

**Distribution:**

- All Chief of Centre's/Head of the Departments
- PPS/PS to the Director, AIIMS
- PS/PA to DD (A)
- PS/PA to Dean (Acad.)
- PS/PA to Assoc-Dean (Acad/Exam/Research)/Registrar
- PS/PA to Sr. FA/FA/AO (Cash)
- MS/Professor-In -charge, Faculty Cell, AIIMS
- CAO/AO (Faculty Cell)
- Content Provider (through PI/C Computer Facility) to kindly upload the same in the AIIMS Website under to head of Academic Section.